



महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) –द्वितीय का कार्यालय, मध्यप्रदेश

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, Madhya Pradesh



क्रमांक / पेंशन / डी.आर.एस.एस.ए. / छत्तीसगढ़-07 / 2020-21

दिनांक:- 14.12.2020

प्रति,

सभी जिला कोषालय अधिकारी

- विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य से निर्वाचित मान. पूर्व सदस्यों को पुनरीक्षित दर से पेंशन एवं कुटुंब पेंशन का भुगतान किए जाने विषयक।
- संदर्भ:- 1. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त पत्रांक / पेंशन / पुन. पेंशन / एम.एल.एल. / अ. / आर.-2 / 800 दिनांक 11.11.2020
2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय का पत्र 10952 / वि.स. / स.ले. / 161 / 2020 एवं 10594 / वि.स. / स.ले. / पेंशन-96iv/2020 दिनांक 14.10.2020 (संदर्भित राजपत्र क्रमांक वेबसाइट <http://egazette.cg.nic.in/View.aspx> से डाउनलोड किया जा सकता है)

उपरोक्त विषय में लेख है कि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त आदेशों की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। उपरोक्त संदर्भित आदेशों की प्रति कार्यालय महालेखाकार मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.agmp.nic.in पर भी उपलब्ध है।



वरिष्ठ लेखा अधिकारी / पेंशन

क्रमांक / पेंशन / डी.आर.एस.एस.ए. / छत्तीसगढ़-07 / 2020-21

दिनांक:-

प्रतिलिपि:-

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर के पत्र दिनांक 11.11.2020 के संबंध में सूचनार्थ।


वरिष्ठ लेखा अधिकारी / पेंशन

SP-196/22.263

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ रायपुर

क्र: पेन्शन/पुन.पेंशन/एम.एल.ए./अ/आर-2/ 800
प्रति,

पंजीकृत विशेष मूद्रा प्राधिकार
दिनांक: 11/11/2020

- 01 वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र-5, कोषालय भवन, तीज हजारी कोर्ट काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110124
- 02 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आंध्र प्रदेश, सैफाबाद, हैदराबाद-500463
- 03 O/o the Director of Audit & Pension, Government of Arunachal Pradesh, Naharlagun, Arunachal Pradesh-791110
- 04 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी-781029
- 05 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-11 बिहार, पटना, बीर चंद पटेल पथ, पटना-800001
- 06 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रांच, 'आडिट भवन', नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009
- 07 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट न.-4 एवं 5, सेक्टर 33-बी, चंडीगढ़-160047
- 08 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला-171003
- 09 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू कश्मीर, एग्जीक्यूशन ग्राउन्ड के निकट, श्रीनगर-190009
- 10 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.-डोरंडा, राँची-834002
- 11 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पार्क हाउस रोड, पो.बॉ.-5329/5369 बैंगलोर-560001
- 12 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.-5607, एम.जी. रोड, तिरुवनंथपुरम-695039
- 13 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-11 मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर-474002
- 14 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन.मैरीन लाईन्स, मुंबई
- 15 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-11 महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर-440001
- 16 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल-795001
- 17 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलॉंग-793001
- 18 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिजोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, ऐज़वल-796001
- 19 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा-797001
- 20 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर-751001
- 21 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़-160017
- 22 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर-302005
- 23 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवशाली पी.ओ.-टाडोंग, गंगटोक-737102
- 24 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तामिलनाडु, 361 अन्ना सलाई टेयनामपेट, चेन्नई-600018
- 25 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पी.आ.-कुजाभवन, अगरतला-799006
- 26 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तरांचल, देहरादून ऑबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248171
- 27 Senior Accounts Officer (Establishment & Pension) O/o the Accountant General (A&E). II UP Audit Bhawan Vibhuti Khand, Gomtinagar, Lucknow, UP-226010
- 28 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेस्ट बेंगॉल, कोषालय भवन क्रमांक-2, गवर्नमेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकता-700001
- 29 कंट्रोलर ऑफ अकाउन्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफैर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन नई दिल्ली
- 30 डायरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स, पेंशन अनुभाग, पानाजी, गोवा
- 31 डायरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स एवं ट्रेजरी, पांडीचेरी सरकार, पांडीचेरी
- 32 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तेलंगाना, हैदराबाद-500004

007549

PA

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य से निर्वाचित मान.पूर्व सदस्यों को पुनरीक्षित दर से पेंशन एवं कुटुंब पेंशन का भुगतान किए जाने विषयक।

संदर्भ:- छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय का पत्र क्रमांक 10592 /वि.स./स.ले./पेंशन/161/2020 एवं 10594 /वि.स./स.ले./पेंशन-96iv/2020 दिनांक 14/10/2020

उपरोक्त विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 445 दिनांक 28/09/2020 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ राज्य सके निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित मान.पूर्व सदस्यों को दिनांक 28/09/2020 से पेंशन एवं कुटुंब पेंशन की राशि निम्नानुसार किया जाना है:-


1	पेंशन	राशि ₹ 20,000/- के स्थान पर राशि ₹ 35,000/- प्रति माह की दर से
2	कुटुंब पेंशन	राशि ₹ 10,000/- के स्थान पर राशि ₹ 25,000/- प्रति माह की दर से

नोट:- जिन माननीय पूर्व सदस्यों की कालावधि पाँच वर्ष से अधिक है को देय अतिरिक्त पेंशन तथा चिकित्सा भत्ता में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है, जो पूर्वानुसार ही देय है।

संदर्भित राजपत्र क्रमांक जो वेबसाइट <http://egazette.cg.nic.in/View.aspx> से डाउनलोड किया जा सकता है। उपरोक्तानुसार संशोधन कर भुगतान करना सुनिश्चित करें।

पृ.क्र./पुन.पेंशन/एम.एल.ए./ब/आर-2/

1. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर, छ.ग. की ओर सुनिश्चित प्रेषित 2020



वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.
दिनांक 11/11/2020

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

DA-60
23/11/2020

DA
shu kumar
23/11/2020
AA07/11/2020